भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विकास आयुक्त का कार्यालय सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

## OFFICE ORDER No. 43 /2025

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य एसईजेड डिवीजन ने पत्र संख्या D.12/25/2012-SEZ, दिनांक 16 सितंबर 2013 तथा F.No. D.12/19/2013-SEZ, दिनांक 19 नवंबर 2013 के माध्यम से सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची को इस निर्देश के साथ मंजूरी दे दी है कि सेवाओं की अनुमोदित सूची को आमतौर पर यूएसी द्वारा अनुमति दी जाएगी जब तक इसके विपरीत कुछ भी देखा जाता है। अन्य सेवाएँ जो समान सूची में शामिल नहीं हैं, उनका निर्णय यूएसी द्वारा योग्यता के आधार पर किया जा सकता है।

क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ ने अब निर्णय लिया है कि BLUT की स्वीकृति के बाद सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची जारी मानी जाएगी और इस संबंध में कोई औपचारिक अनुमोदन संचार नहीं किया जाएगा। यदि इकाई को सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के अतिरिक्त सेवाओं की अतिरिक्त सूची की आवश्यकता होती है, तो वह उसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

The Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce (SEZ Division) has approved the Default List of Services vide letter No. D.12/25/2012-SEZ dated 16<sup>th</sup> 2013 and September, F.No. 19th D.12/19/2013-SEZ dated November, 2013 with a direction that the approved list of services shall ordinarily be permitted by unless anything contrary is noticed. Other services which are not included in the uniform list may be decided by UAC on merit.

The Zonal Development Commissioner, SEEPZ-SEZ has now decided that after acceptance of BLUT the default list of services shall deemed to be issued and no approval/communication shall be made in this regard. In case the unit requires additional list of services, in addition to the default list of services, they may same to this for submit the approval of the Competent Authority.

This issued with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

(जय शाह/ Jay Shah) उप विकास आयुक्त/ Dy. Development Commissioner सीप्ज-सेज़/ SEEPZ-SEZ

F.No.: SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/Vol-V/01623 Date:- 31 .01.2025

Copy to:-

1. सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/ All concerned Officers/Officials

- 2. विआका / संविआका / उविआका /विआ/DCO/JDCO/DDCO/SO
- 3. सीमा शुल्क प्रशासन/ Customs Admin
- 4. कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर/ Office Order File/Register
- 5. सीप्ज-सेज वेबसाइट / SEEPZ SEZ Website
- 6. नोटिस बोर्ड/ Notice Board